भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 423*

(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमकेएसपी के अंतर्गत महिला किसानों को सहायता

423*. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः

श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत महिला किसानों की सहायता करने के लिए आरंभ किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमकेएसपी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इसके अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों और अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के बारे में महिलाओं में जागरूकता फैलाने में असफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस परियोजना के बारे में समुचित जागरूकता फैलाने का विचार है ताकि महिला किसानों को लाभ हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

लोकसभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के उप-घटक के रूप में वर्ष 2011 में शुरू की गई महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) का उद्देश्य महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ताकि वे अपना सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण कर पाएं। एमकेएसपी का मुख्य उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी और कृषि-उत्पादकता बढ़ाने, उनके लिए कृषि आधारित आजीविकाओं का सृजन करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए व्यवस्थित निवेश करके कृषि में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं को अपने कार्यकलापों के प्रबंधन में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का एक पूल बनाने में सहायता भी दी जाती है।

(ख) और (ग): एमकेएसपी के तीन प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्र हैं- i) स्थायी कृषि, ii) गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) और iii) मूल्य श्रृंखला विकास। पशुधन कार्यकलाप स्थायी कृषि और एनटीएफपी दोनों परियोजनाओं में शामिल हैं। इन घटकों के अंतर्गत जिन प्रमुख कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है, वे निम्नानुसार हैं:

स्थायी कृषि

- कृषि और गैर-कृषि आधारित कार्यकलापों में सहायता करने के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमता में सुधार करना;
- पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- महिलाओं को सरकार एवं अन्य एजेंसियों की और अधिक सुविधाएं एवं सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाना;
- जैव-विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाना;

गैर-इमारती वन उत्पाद

- जैव विविधता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एनटीएफपी प्रजातियों के पुनः सृजन को बढ़ावा देना;
- समुदाय की आय बढ़ाने के लिए स्थायी फसल कटाई और कटाई के उपरांत तकनीकों के संबंध में समुदाय की क्षमता बढ़ाना;
- अधिक प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए एनटीएफपी के स्थानीय मूल्य संवर्धन तथा बाजार संपर्कों को बढ़ावा देना;
- सरकार और अन्य एजेंसियों की सेवाएं तथा अपनी पात्रताएं बेहतर ढंग से प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करना;
- एनटीएफपी एकत्र करने वालों के आजीविका अवसरों में सुधार के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रयोग को बढ़ावा देना।

मूल्य श्रृंखला विकास

- छोटी एवं सीमांत महिला किसानों के कृषि, डेयरी और एनटीएफपी उत्पादों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमतों की प्राप्ति सुनिश्चित करना;
- व्यापक पैमाने पर उत्पादन से आनुपातिक बचत सुनिश्चित करके छोटे एवं सीमांत उत्पादकों की मोलभाव करने तथा बेहतर कीमतें प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि सुनिश्चित करना;
- छोटी एवं सीमांत महिला किसानों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए व्यापक पैमाने पर सशक्त कारोबारी मॉडल तैयार करना;
- मूल्य श्रृंखला विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए अनुकरणीय और स्थायी उत्पादक उद्यम विकसित करना;
- वस्तुओं के मूल्य संवर्धन, फसल कटाई के बाद उत्पादों के बेहतर प्रबंधन की समुदाय की क्षमताओं का विकास करना, गुणवत्ता पैरामीटरों की जानकारी इत्यादि को बढ़ावा देना;
- लेखांकन, सामान-सूची के प्रबंधन, उत्पादकों को भुगतान तथा बाजार संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

अब तक 33.81 लाख महिला किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 24 राज्यों में कुल 84 एमकेएसपी परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई हैं और 31.03.2019 तक 30,807 गांवों में कुल 35,97,743 महिला किसानों को लाभान्वित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 847.48 करोड़ रु. का केंद्रीय आवंटन किया गया है, जिसमें से 570.26 करोड़ रु. की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। मंत्रालय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से इस परियोजना के विषय में जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। कृषि, एनटीएफपी और पशुधन के क्षेत्रों में स्थायी पद्धतियां शुरू करने के लाभों की चर्चा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की बैठकों में की जाती है। एमकेएसपी के अंतर्गत अपनाई गई पद्धतियों से प्राप्त अनुभवों का अनुकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा अपनी डीएवाई-एनआरएलएम वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के अंतर्गत सर्वव्यापी कार्यकलापों के रूप में किया जा रहा है। 29 राज्यों की एएपी को अनुमोदित कर दिया गया है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एमकेएसपी लक्ष्यों के अतिरिक्त कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों, एनटीएफपी और पशुधन पद्धतियों से संबंधित कार्यकलापों के लिए लगभग 34 लाख एसएचजी सदस्यों को शामिल किया गया है।

डीएवाई-एनआरएलएम की आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) कार्यनीतियों तथा अभियानों में एमकेएसपी सहित इसके सभी उप-घटक शामिल हैं।

*****